रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940
No. 535] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

का.आ. 652 (अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 799 (अ) तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले में 46.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह स्थलीय, पहाड़ी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का अनूठा प्रतिनिधि है। माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर से करीब 40 किलोमीटर दूर दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र का स्वरुप बहुत जटिल और विविध प्रकार का है। माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 459 मीटर है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनमें- i) *डिप्टरोकार्पस अल्टस, डिप्टरोकार्पस ग्रासिलिस, अमुरा वॉलिची, पीटेकोसिंबिल टिनक्टरियम, ग्रटम स्कैन्डेन्स* आदि प्रजातियों की बहुलता वाले विशाल सदाबहार वन ii) *डीप्टरोकारपस ग्रैंडफ्लोरस, आर्टोकारपस चप्पलाशा, साइडरक्ज़ेलियन लौंगेपैटेलम* आदि प्रजातियों की बहुलता वाले अंडमान उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, iii) *डीप्टरोकारपस कॉसटेटस, मेसुआ फेरेआ, कैनारियम मनी, होपा अंडमानिका* आदि प्रजातियों की बहुलता वाले दक्षिणी हिल शीर्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन iv) कैलमस प्रजातियों की बहुलता वाले केन ब्रेक्स v) *ओक्सीथेरिया निगरोसिलियाटा* प्रजातियों वाले बैम्बू ब्रेक्स vi) *डिपरोकारपस एसपीपी, आर्टोकारपस चपलाषा, पटरोकारपस डाल्बर्गिआइड्स, टर्मिनलिया बिलाटा, टी.मनी, पेटरोकारपस डाल्बर्गिआइड्स, बॉम्पाक्स इग्नेस, लेगरस्टोमिया हाइपोलीयूका,* आदि की प्रजातियों वाले अंडमान अर्ध सदाबहार वन vii) *टर्मिनलिया बिलाटा, सलमालिया इग्गिंसिस, चुकरासिया, टैब्युलारिस, लैनिया कोरोमंडलिका, मल्लोटस, अकिमुनाटस* आदि प्रजातियों वाले अंडमान आर्द्र पर्णपाती वन viii) *मणिकारा लैटोरलिसिस, पोंगामिया पिन्नाटा, कैलॉफ़्लुम इनोफिलम* आदि प्रजातियों वाले समुद्र तटीय वन और

ix) *राइज़ोपोरा म्यूक्रोनटा, राइज़ोपारा ब्रुगुइएरा जिमोरोहिज़ा*, आदि प्रजातियों की बहुलता वाले सदाबहार वन या ज्वार दलदल वन शामिल हैं;

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान अनेक स्थानिक पशु पक्षियों का वास है। इस राष्ट्रीय उद्यान के रेतीले तट लेदर-बैक कछुआ (*डर्मोसीलीस कोरियासेआ*), ओलिवे रिडले कछुआ (*लेपिडोशेलीस ओलिवेसा*) और ग्रीन सी कछुआ (*चेलोनी मायडास*) के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल हैं। राष्ट्रीय उद्यान से कुछ जीवजंतु अंडमान बनैला सूअर *(सस स्क्रोफ़ा अंडमानसिस)*, भारतीय काकड़ हिरण *(मुनटीक्स मुनतजक)*, चित्तीदार हिरण *(एक्सिस एक्सिस)*, जंगल बिल्ली *(फेलिस चाउस)*, अंडमान मास्क पाम सिवेट *(पगुमा लारोता टाकेल्ली)*, अंडमान लेस्सेर शॉर्ट-नाज्ड फ्रूट बैट *(साइनोप्टेरूस ब्राच्योटिस ब्राचिसोमा)*, हॉर्सफील्ड मायोटिस बैट *(मायोटिस हॉर्सफील्डि)*, इंटरमीडिएट हॉर्स *(राइनोप्लोफस एफ़िनिस)*, ब्लैक चुहा *(रट्टुस रट्टुस)*, मिलर चूहा *(रट्टुस मुएल्लेरी)*, अंडमान ग्राउंड शेरोउ *(क्रोकिडुरा अंडमानसिस)*, जेनकेन ग्राउंड शेरोउ *(क्रोकिडुरा जेनकिंसि)*, पीला धारीदार ट्रिंकेट सांप *(एलाफे फ्लैवोलिनाटा)*, अंडमान किल बैक वाटर स्नेक *(ज़ेनोक्रोपिस मेलेनोज़ोस्टस)*, अंडमान क्रेट *(बंगारूस अंडमानसिस)*, कैंटोर नर्रोव-हेडेड सी स्नेक *(हाइड्रोफस कैंटोरिस)*, एंडरसन पिट वाइपर *(ट्रिमेरसुरूस एंडरसोनी)*, दक्षिणपूर्व एशियाई वोल्फ सांप *(लाइकोदोन कैप्यूकिनुस)*, स्लेन्डर सी सांप *(हाइड्रोफिस ग्राकिलिस)*, सामान्य एशियाई टोड *(बुफो मेलानोस्टिक्टस)*, ब्लैक बुल फ्रोग्र *(कौला बैलाटा घोशी)*, अंडमान पैडी फील्ड मेंढक *(फेजेरवारया अंडमानसिस)*, चार्लेस डार्विन मेंढक *(राना चार्लेसदारविनि)*, ग्रीन सी कछुआ *(चेलोनी मायडास)*, हॉक्सबिल समुद्री कछुए*(एरेमोचिलयस इम्ब्रिकेट)*, लेदर बैक कछुआ *(डर्मोचेलीस कोरेशिया)*, ओलिवे रिडले कछुआ *(लेपिडोशेलीस ओलिवेसा)*, शॉल्ट वाटर मगरमच्छ *(क्रोकोडाइलस पोरोसस)*, अंडमान ग्रास सॉप *(माबुया अंडमानसिस)*, वॉटर मॉनिटर छिपकली *(बारनस सैल्वेटर अंडामानसिस)*, अंडमान कोबरा *(नाजा सगितिफेरा)*, किंग कोबरा *(ओफ़िओफैगस हन्नाह)*, ब्रह्मिनी वोर्म सांप *(रामफोटाफ्लॉपस ब्रैमिनस)*, तौनी बिल्ली सांप *(बोइगा अंडमानसिस)*, ब्लू ब्रोंज बैक सांप *(डेन्ड्रेलाफिस कयनेचलोरीस)* आदि अभिलिखित किए गए है;

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक मात्रा में पक्षी जीव रहते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी जीव जन्तुओं की लगभग 89 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं जिनमें से इस द्वीपसमूह की 18 स्थानिक पक्षी प्रजातियां इस राष्ट्रीय उद्यान में पायी जाती हैं। कुछ मुख्य पक्षी पाए जाते हैं जिसमें अंडमान स्टोर्कबिल्ड किंगफिशर *(पेलार्गोप्सिस कैपेन्सिस)*, अंडमान ट्री पाई *(डेंडोकिट्टि बैलेयी)*, अंडमान व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटरन*(अमाउरोमिस फोएनिक्यूरस)*, अंडमान व्हाइटब्रैस्टेड किंगफिशर*(हालक्यों स्मेमेंसिस)*, अंडमान व्हाइटकॉलर किंगफिशर *(हालक्यों क्लोरीस)*, अंडमान वुड कबूतर *(कोलुम्बा पलुम्बोदीस)*, ब्लैक कैप्ड किंगफिशर *(हेलिसन पिलेटा)*, ब्राउन शिक्र *(लैनियस क्रिस्टेटस)*, (लार्ज) ब्राउनथ्रोएटेड स्पिनरेट स्विफ्टलेट *(चाइतुरा गिगांतेन)*, बरमेसे रेड कछुआ-फ़ाख़ता *(स्ट्रैप्टोपेलिया ट्रॅनकुबेकी)*, मवेशी बगुला *(बुबुलकस इब्स)*, सामान्य टिटहरी *(एक्टिटिस हाइपोल्यूकोस)*, कर्लेव*(न्यूमेनियस अरक्यूटा)*, पूर्वी ब्लैकनेपड टर्न *(स्टेमा सुमात्राना)*, पूर्वी ग्रीनिश लेफ वारबलर *(पायहलोस्कोपुस ट्रोचिलोइदेस)*, पूर्वी जंगल कौवा *(कोर्वस लेविल्लंति)*, लैस्सर सैंड प्लोवर *(चारादरीउस मोंगोलुस)*, छोटा अंडमान ड्रोन्गो *(डिक्रुरस अंडमानेंसिस)*, व्हाईट बेल्ट सी ईगल *(हेलियेट्स ल्यूकोस्टर)*, आदि शामिल है;

और, जैव भौगोलिक रूप से-माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान में अंडमान द्वीप के अधिकांश वन प्रकार पाए जाते हैं। यहां विविध प्रकार के तथा स्थलीय, जलीय और वानस्पतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले जीव भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से महत्त्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियां जुगली काजू *(सेमेकेरपुस कुर्ज़ी)*, नेवा *(पॉलील्थिया पार्किंनीसोनी)*,क्राप जैस्मीन *(ताबेरनेमोंटाना क्रिस्पा)*, सी मोवा *(मनीलाकारा लिटोरोरिस)*, पड्रडाय *(ओरीज़ा इंडान्डामिनिका)*, चारागुडुआ *(विटेक्स डाइवर्सिफोलिया), हिप्पोक्रेटेआ अंडमानिका, चाइल्लेटिया अंडामनिका, गार्सिनिया अंडामनिका, टेडेहेज ट्राक्वेट्रम, अमौरा मनी, पायचोटरिया अंडामनिका, टेट्रास्टिग्मा अंडामनिकुलम* आदि अभिलिखित की गई है। संकटापन्न/ दुर्लभ प्रजातियों जैसे दीदू *(बोम्बक्स इन्सिग्ने)*, अर्गुना *(साइकास रुम्फी)*, ट्रेफल ग्रोस *(तडेहगी त्रिक्वेट्रम), अमौरा मानी, प्लेकोस्पर्मम अंडामनिकुलम, ओलेक्स इम्ब्रिकेट, पित्तोस्पेर्मुम फेरुगिनियम* आदि के लिए समुद्र तट, पर सैंडबार के साथ-साथ खाड़ियों का बहुत अच्छा वास प्रदान करता है;

और, माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी अंडमान जिले में स्थित माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पूर्व दिशा में शून्य किलोमीटर तथा दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर (शून्य) 0 से 1 (एक) किलोमीटर तक है। अंडमान समुद्र के समीपवर्ती पूर्वी भाग की ओर इसका विस्तार शून्य है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 21.82 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को दर्शाता राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र **उपाबंध-I (क) और (ख)** पर है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध- II (क)** और (**ख)** पर है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध- III** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम स्थित नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण और वन;
(ii) कृषि ;
(iii) पशु पालन;
(iv) अंडमान लोक निर्माण विभाग;
(v) राजस्व;
(vi) मत्स्य पालन;
(vii) ग्रामीण विकास; और
(viii) अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण (एएलएचडब्लयू) और अन्य अनुसंधान संगठन।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी । इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण अनुसमर्थित होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मॉनीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—**संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग–(क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या मुख्य आवासीय प्रक्षेत्र या मुख्य औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे कि तंबू और लकड़ी के मकान;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैराग्राफ 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या सैरगाह या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत तापीय और बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन रेलवे लाइनों को छोड़कर विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ विनियमित होंगे।
16.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित जल निकायों में बहिर्स्राव के अपशिष्ट जल निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
19.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स का प्रयोग संकेत ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

26.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	कृषि/बागवानी/चाय उद्यान में जैव उर्वरकों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	पारम्परिक मत्स्य-पालन।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 के अनुसरण में बढ़ावा दिया जाएगा।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
40.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	निम्नीकृत भूमि या वन या प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	पालतू पशुओं का टीकाकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	औषधीय पौधों की खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- प्रभावी मानीटरी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
(1)	(2)	(3)
1.	उपायुक्त, दक्षिण अंडमान	अध्यक्ष
2.	सभापति, जिला परिषद, दक्षिण अंडमान	सदस्य
3.	संभागीय वन अधिकारी, दक्षिण अंडमान	सदस्य
4.	निदेशक, कृषि या उसके प्रतिनिधि,	सदस्य
5.	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	किसी प्रतिष्ठित संस्था से पर्यावरण/पारिस्थितिकी/वन्य जीव क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
7.	संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), पोर्ट ब्लेयर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) मानीटरी समिति पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.कां.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.कां.आं. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ति संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योग को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगो के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और कां.आ.19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिदिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

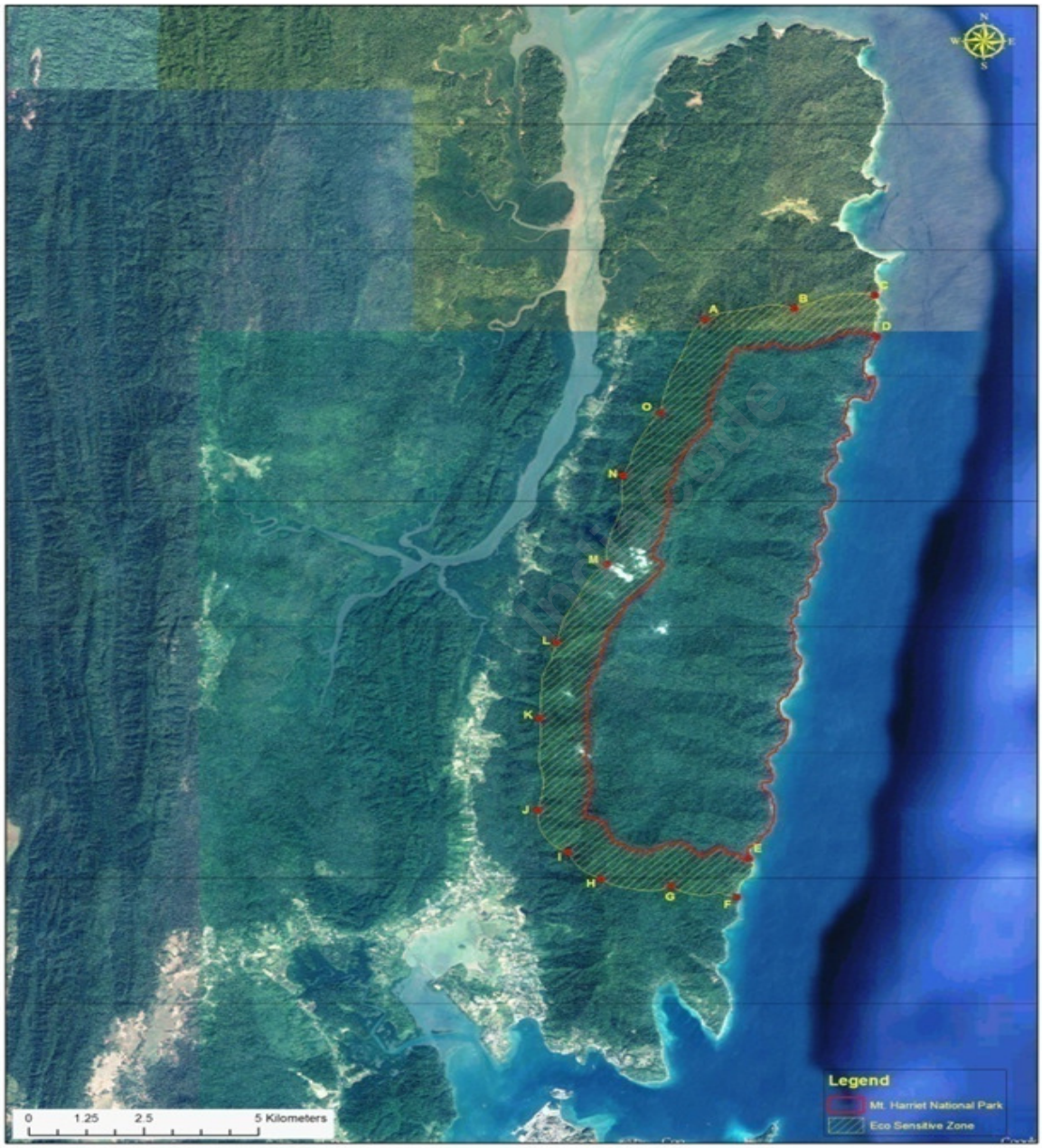
[फा.सं. 25/29/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

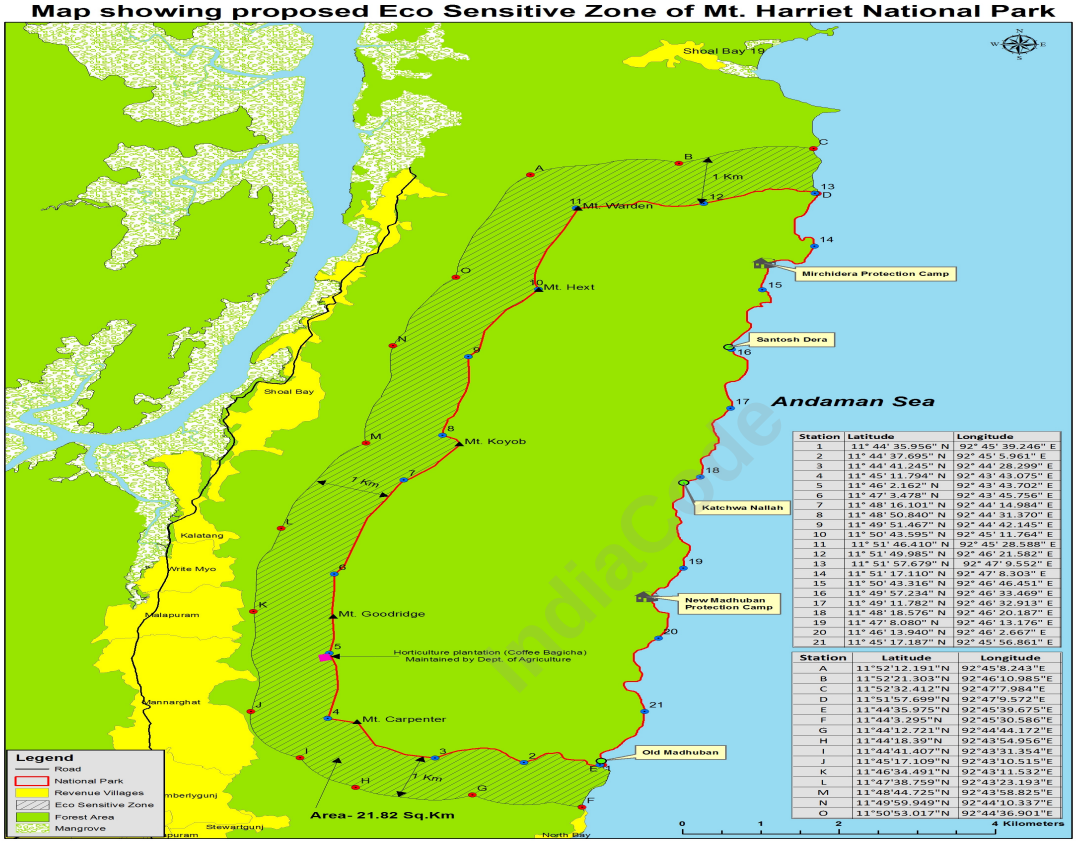
उपाबंध- I क

पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाले माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का गूगल चित्र



उपाबंध- I ख

पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाले माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मानचित्र



Station	Latitude	Longitude
1	11° 44' 35.956" N	92° 45' 39.246" E
2	11° 44' 37.695" N	92° 45' 5.961" E
3	11° 44' 41.245" N	92° 44' 28.299" E
4	11° 45' 11.794" N	92° 43' 43.075" E
5	11° 46' 2.162" N	92° 43' 43.702" E
6	11° 47' 3.478" N	92° 43' 45.756" E
7	11° 48' 16.101" N	92° 44' 14.984" E
8	11° 48' 50.840" N	92° 44' 31.370" E
9	11° 49' 51.467" N	92° 44' 42.145" E
10	11° 50' 43.595" N	92° 45' 11.764" E
11	11° 51' 46.410" N	92° 45' 28.588" E
12	11° 51' 49.985" N	92° 46' 21.582" E
13	11° 51' 57.679" N	92° 47' 9.552" E
14	11° 51' 17.110" N	92° 47' 8.303" E
15	11° 50' 43.316" N	92° 46' 46.451" E
16	11° 49' 57.234" N	92° 46' 33.469" E
17	11° 49' 11.782" N	92° 46' 32.913" E
18	11° 48' 18.576" N	92° 46' 20.187" E
19	11° 47' 8.080" N	92° 46' 13.176" E
20	11° 46' 13.940" N	92° 46' 2.667" E
21	11° 45' 17.187" N	92° 45' 56.861" E

Station	Latitude	Longitude
A	11°52'12.191"N	92°45'8.243"E
B	11°52'21.303"N	92°46'10.985"E
C	11°52'32.412"N	92°47'7.984"E
D	11°51'57.699"N	92°47'9.572"E
E	11°44'35.975"N	92°45'39.675"E
F	11°44'3.295"N	92°45'30.586"E
G	11°44'12.721"N	92°44'44.172"E
H	11°44'18.39"N	92°43'54.956"E
I	11°44'41.407"N	92°43'31.354"E
J	11°45'17.109"N	92°43'10.515"E
K	11°46'34.491"N	92°43'11.532"E
L	11°47'38.759"N	92°43'23.193"E
M	11°48'44.725"N	92°43'58.825"E
N	11°49'59.949"N	92°44'10.337"E
O	11°50'53.017"N	92°44'36.901"E

उपाबंध-II-क

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
1	11°44'35.956" उ	92°45'39.246" पू
2	11°44'37.695" उ	92°45'5.961" पू
3	11°44'41.245" उ	92°44'28.299" पू
4	11°45'11.794" उ	92° 43'43.075" पू
5	11°46'2.162" उ	92°43'43.702" पू
6	11°47'3.478" उ	92°43'45.756" पू
7	11°48'16.101" उ	92°44'14.984" पू
8	11°48'50.840" उ	92°44'31.370" पू
9	11°49'51.467" उ	92°44'42.145" पू
10	11°50'43.595" उ	92°45'11.764" पू
11	11°51'46.410" उ	92°45'28.588" पू
12	11°51'49.985" उ	92°46'21.582" पू
13	11°51'57.679" उ	92°47'9.552" पू
14	11°51'17.110" उ	92°47'8.303" पू
15	11°50'43.316" उ	92°46'46.451" पू
16	11°49'57.234" उ	92°46'33.469" पू
17	11°49'11.782" उ	92°46'32.913" पू
18	11°48'18.576" उ	92°46'20.187" पू
19	11°47'8.080" उ	92°46'13.176" पू
20	11°46'13.940" उ	92°46'2.667" पू
21	11°45'17.187" उ	92°45'56.861" पू

उपाबंध II-(ख)

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू निर्देशांक

स्टेशन	अक्षांश	देशांतर
ए	11°52'12.191" उ	92°45'8.243" पू
बी	11°52'21.303" उ	92°46'10.985" पू
सी	11°52'32.412" उ	92°47'7.984" पू
डी	11°51'57.699" उ	92°47'9.572" पू
ई	11°44'35.975" उ	92°45'39.675" पू
एफ	11°44'3.295" उ	92°45'30.586" पू
जी	11°44'12.721" उ	92°44'44.172" पू
एच	11°44'18.39" उ	92°43'54.956" पू
आई	11°44'41.407" उ	92°43'31.354" पू

जे	11°45'17.109" उ	92°43'10.515" पू
के	11°46'34.491" उ	92°43'11.532" पू
एल	11°47'38.759" उ	92°43'23.193" पू
एम	11°48'44.725" उ	92°43'58.825" पू
एन	11°49'59.949" उ	92°44'10.337" पू
ओ	11°50'53.017" उ	92°44'36.901" पू

उपाबंध -III

माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर – माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तरी अक्षांश 11°52'12.191" और पूर्वी देशांतर 92°45'8.243" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिन्दु ए से आरंभ होती है जो 322°30' पर माऊंट वार्डन की चोटी से 1 किलोमीटर दूर है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की ओर जाती है और उत्तरी अक्षांश 11°52'21.303" और पूर्वी देशांतर 92°46'10.985" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु बी से होकर जाती है बिंदु सी पर उत्तरी अक्षांश 11°52'32.412" और पूर्वी देशांतर 92°47'7.984" के ग्रिड रिफ्रन्स पर समुद्र तट पर पहुँचती है।

पूर्व – पूर्वी सीमा उत्तरी अक्षांश 11°52'32.412" और पूर्वी देशांतर 92°47'7.984" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु सी से आंरभ होकर पूर्वी तट के उच्च ज्वार वाले क्षेत्र के साथ जाती है और उत्तरी अक्षांश 11°51'57.699" और पूर्वी देशांतर 92°47'9.572" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु डी पर पहुँचती है। इसके बाद माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा माऊंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की ओर जाती है और उत्तरी अक्षांश 11°44'35.975" और पूर्वी देशांतर 92°45'39.675" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु ई से मिलती है। इसके बाद यह सीमा तटीय सीमा की ओर जाकर उत्तरी अक्षांश 11°44'3.295" और पूर्वी देशांतर 92°45'30.586" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एफ की ओर जाती है।

दक्षिण – दक्षिणी सीमा उत्तरी अक्षांश 11°44'3.295" और पूर्वी देशांतर 92°45'30.586" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एफ से आरंभ होती है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहकर पश्चिम की ओर मुड़ती है उत्तरी अक्षांश 11°44'12.721" और पूर्वी देशांतर 92°44'44.172" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु जी, उत्तरी अक्षांश 11°44'18.39" और पूर्वी देशांतर 92°43'54.956" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एच से होते हुए उत्तरी अक्षांश 11°44'41.407" और पूर्वी देशांतर 92°43'31.354" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु आई पर पहुँचती है।

पश्चिम– पश्चिमी सीमा उत्तरी अक्षांश 11°44'41.407" और पूर्वी देशांतर 92°43'31.354" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु आई से आरंभ होती है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर उत्तरी अक्षांश 11°45'17.109" और पूर्वी देशांतर 92°43'10.515", के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु जे उत्तरी अक्षांश 11°46'34.491" और पूर्वी देशांतर 92°43'11.532", के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु के उत्तरी अक्षांश 11°47'38.759" और पूर्वी देशांतर 92°43'23.193" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एल, उत्तरी अक्षांश 11°48'44.725" और पूर्वी देशांतर 92°43'58.825" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एम, उत्तरी अक्षांश 11°49'59.949" और पूर्वी देशांतर 92°44'10.337" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु एन पर उत्तर की ओर मुड़ती है और उत्तरी अक्षांश 11°50'53.017" और पूर्वी देशांतर 92°44'36.901" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु ओ पर पहुँचती है। इसके बाद यह सीमा उत्तरी अक्षांश 11°52'12.191" और पूर्वी देशांतर 92°45'8.243" के ग्रिड रिफ्रेन्स पर बिंदु ए पर समाप्त होती है।

IndiaCode

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2019

S.O. 652 (E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 799(E) dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26th February 2018;

AND WHEREAS, no comments or objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Mount Harriet National Park is spread over an area of **46.62 square kilometers** falling in South Andaman district of the Union territory (UT) of Andaman and Nicobar Islands (A & N) and is a unique representative of terrestrial, mountain and coastal ecosystem. The Mount Harriet National Park is located in the eastern part of South Andaman Island at about 40 kilometer (by road) from Port Blair. The ecosystem of the National Park is very complex and diverse in nature. Mount Harriet National Park has an altitude of 459 meters above Mean Sea Level and possesses one of the highest peaks in the Andaman and Nicobar Islands;

AND WHEREAS, the National Park represents different forest types which include i) Giant Ever Green Forest represented by species like *Dipterocarpus alatus, Dipterocarpus gracilis, Amoora wallichi, Ptecocymbium tinctorium, Gnetum scandens,* etc., ii) Andaman Tropical Evergreen Forest represented by species like *Dipterocarpus grandiflorus, Artocarpus chaplasha, Siderxylion longepatalum,* etc., iii) Southern Hill top Tropical Evergreen forests represented by species like *Dipterocarpus costatus, Mesua ferrea, Canarium manii, Hopea andamanica*,etc., iv) Cane brakes represented by species like *Calmus* v) Bamboo Brakes represented by species like *Oxytentherea nigrociliata*, etc., vi) Andaman Semi Evergreen forests represented by species like *Depterocarpus spp, Artocarpus chaplasha, Pterocarpus dalbergioides, Terminalia bilata, T. manii, Pterocarpus dalbergioides, Bombax insignis, Lagerstoemia hypoleuca*, etc.,

vii) Andaman Moist Deciduous forests represented by *Terminalia bialata, Salmalia insignis, Chukrassia, Tabularis, Lannea coromandelica, Mallotus, Acuminatus*, etc.,viii) Littoral forests represented by species like *Manikara littoralis, Pongamia pinnata, Calophyllum inophyllum*, etc., and ix) Mangrove forests or tidal swamp forests represented by species like *Rhizopora mucronata, Rhizopora bruguiera gymnorhiza*, etc.;

AND WHEREAS, the Mount Harriet National Park is the habitat for many endemic animals and birds. Sandy beaches of the National Park are the important nesting ground for the leather-back turtle (*Dermochelys coriacea*), the olive Ridley turtle (*Lepidochelys olivacea*) and the green sea turtle (*Chelonia mydas*). Some fauna recorded from the National Park are Andaman wild pig (*Sus scrofa andamanensis*), Indian barking deer (*Muntiacus muntijak*), spotted deer (*Axis axis*), Jungle cat (*Felis chaus*), Andaman masked palm civet (*Paguma laroata tyckelli*), Andaman Lesser Short-nosed Fruit Bat (*Cynopterus brachyotis brachysoma*), Horsefield's myotis Bat (*Myotis horsefieldii*), Intermediate horse shoe bat (*Rhinoplophus affinis*), black rat (*Rattus rattus*), Miller's rat (*Rattus muelleri*), Andaman ground shrew (*Crocidura andamanensis*), Jenken's ground shrew (*Crocidura jenkinsi*), yellow striped trinket snake (*Elaphe flavolineata*), Andaman keel back water snake (*Xenochrophis melanozostus*), Andaman krait (*Bungarus andamanensis*), Cantor's narrow-headed sea snake (*Hydrophus cantoris*), Anderson's pit viper (*Trimersurus andersoni*), southeast Asian wolf snake (*Lycodon capucinus*), slender sea snake (*Hydrophis gracilis*), common Asian toad (*Bufo melanostictus*), black bull frog (*Kaula baleata ghoshi*), Andaman paddy field frog (*Fejervarya andamanensis*), Charles Darwin's frog (*Rana charlesdarwini*), green sea turtle (*Chelonian mydas*), Hawksbill sea turtle (*Eretmochlyus imbricate*), leather back turtle (*Dermochelys coreacea*), olive Ridley turtle (*Lepidochelys olivacea*), salt water crocodile (*Crocodylus porosus*), Andaman grass skink (*Mabuya andamanensis*), water monitor lizard (*Varanus salvator andamanensis*), Andaman cobra (*Naja sagittifera*), king cobra (*Ophiophagus Hannah*), brahminy worm snake (*Ramphotyphlops braminus*), tawny cat snake (*Boiga andamanensis*), blue bronze back snake (*Dendrelaphis cyanochloris*) etc.;

AND WHEREAS, Mount Harriet National Park is very rich in avian fauna, about 89 species of avian fauna have been recorded from the National Park of which 18 species of endemic birds reported from the island are found in this National Park. Some of the prominent birds found in the Park includes Andaman stork-billed kingfisher (*Pelargopsis capensis*), Andaman tree pie (*Dendrocitta bayleyi*), Andaman white-breasted waterhen (*Amauromis phoenicurus*), Andaman white-breasted kingfisher (*Halcyon smymensis*), Andaman white-collared kingfisher (*Halcyon chloris*), Andaman wood pigeon (*Columba palumbodies*), black-capped kingfisher (*Halcyon pileata*), brown shrike (*Lanius cristatus*), brown-throated spine tailed swiftlet (*Chaetura gigantean*), Burmese red turtle-dove (*Streptopelia tranquebarica*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), common sandpiper (*Actitis hypoleucos*), curlew (*Numenius arquata*), eastern black-naped tern (*Sterna sumatrana*), eastern greenish leaf warbler (*Pyhlloscopus trochiloides*), eastern jungle crow (*Corvus levaillantii*), lesser sand plover (*Charadrius mongolus*), small Andaman drongo (*Dicrurus andamanensis*), white bellied sea eagle (*Haliaeetus leucogaster*), etc.;

AND WHEREAS, bio-geographically Mount Harriet National Park represent majority of forest types found in the Andaman islands and supports fauna which are diverse and adopted to live in terrestrial, aquatic and arboreal ecosystems. Important endemic species recorded from the National Park are jungli kaju (*Semecarpus kurzii*), neva (*Polyalthia parkinsonii*), crape jasmine (*Tabernaemontana crispa*), sea mohwa (*Manilkara littoralis*), paddy (*Oryza indandamanica*), charaigudua (*Vitex diversifolia*), *Hippocretea andamanica, Chailletia andamanica, Garcinia andamanica, Tadehage triquetrum, Amoora manii, Psychotria andamanica,Tetrastigma andamanicum* etc. The sea shore, creeks as well as sand bar on the beaches serves as an excellent habitat for the threatened/rare species like didu (*Bombax insigne)*, arguna *(Cycas rumphii)*, trefle gros (*Tadehagi triquetrum)*, *Amoora manii, Plecospermum andamanicum, Olax imbricate*, *Pittospermum ferrugineum,* etc.;

AND WHEREAS, **AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mount Harriet National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 kilometer on east and upto 1 kilometer on South, West and North directions around the boundary of Mount Harriet National Park in the South Andaman district of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands as

the Mount Harriet National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **0 (zero)** to **1 (one) kilometer** around the Mount Harriet National Park. Zero extent is towards eastern side adjoining Andaman Sea. The area of the Eco-Sensitive Zone is **21.82 square kilometers**.

(2) The maps of the National Park demarcating the Eco-sensitive Zone boundary are appended at **Annexure-I A** and **Annexure-I B** and the lists of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone are at **Annexure-II A** and **Annexure-II B,** respectively.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.

(4) No villages are located within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union Territory Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of Union Territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Union Territory Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment and Forests;

(ii) Agriculture;

(iii) Animal Husbandry;

(iv) Andaman Public Works Department;

(v) Revenue;

(vi) Fisheries;

(vii) Rural Development; and

(viii) Andaman and Lakshadweep Harbour Works (ALHW) and other research organisations.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government - The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

IndiaCode

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/Union Territory Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for eco-friendly tourism activities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the National Park or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by Union Territory Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution**. - Prevention and control of vehicular pollution shall be complied with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel.

(16) **Industrial Units**.– (a) on or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes**. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area of Mount Harriet National Park or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale nonpolluting industries.	Nonpolluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the UT Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or UT Act and the rules made thereunder.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other	Regulated under applicable laws except railway lines.

India.gov.in

	infrastructures.	Underground cabling may be promoted.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
19.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
20.	Air, vehicular and Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws except for local people.
26.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
27.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Biomedical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
31.	Use of bio fertilizers in Agriculture/Horticulture/Tea Gardens.	Regulated under applicable laws.
32.	Use of Biological Pest Control.	Regulated under applicable laws.
33.	Traditional Fishing Practices.	Promoted with regulations in accordance with the A&N Islands Marine Fishing Regulations, 2003.
Promoted activities		
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

38.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
40.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
45.	Vaccination of domestic cattle.	Shall be actively promoted.
46.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:—

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Deputy Commissioner, South Andaman	Chairman
2.	Chair Person, Zilla Parishad, South Andaman	Member
3.	Divisional Forest Officer, South Andaman	Member
4.	Director ,Tourism or representative	Member
5.	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Union Territory Government	Member
6.	One expert on environment/ecology/wild life from a reputed Institution	Member
7.	Representative of Union Territory Biodiversity Board	Member
8.	Representative of Union Territory Control Board	Member
9.	Deputy Conservator of Forests (WL), Port Blair	Member-Secretary

IndiaCode

6. Terms of Reference.- (1)The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated the 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be

considered as specified in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated the 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the Union Territory under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

IndiaCode

[F. No. 25/29/2017-ESZ]

Dr SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

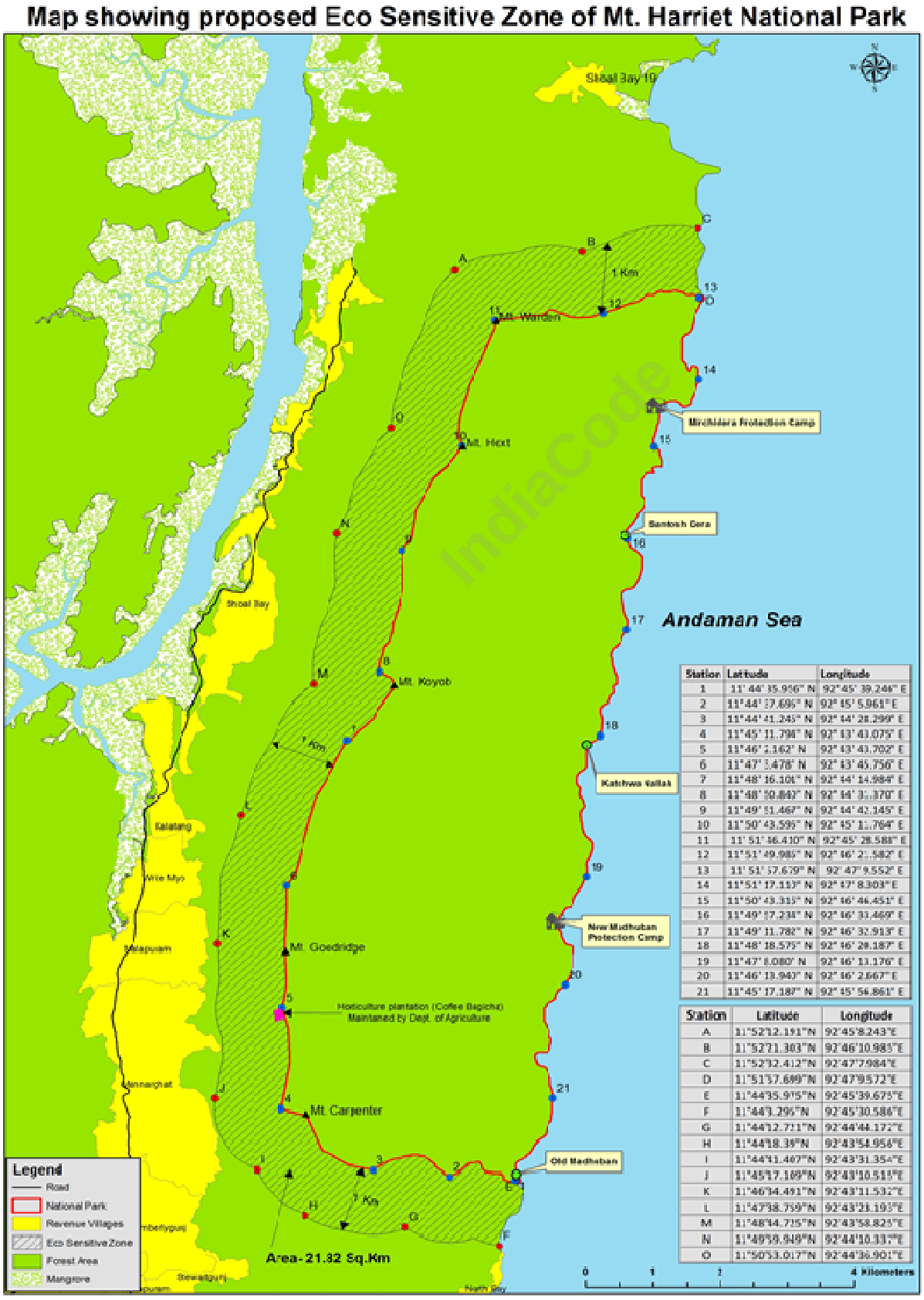
Annexure-I A

Google image of Mount Harriet National Park, Andaman & Nicobar Islands showing the proposed Eco-sensitive Zone



Annexure-I B

Map of Mount Harriet National Park, Andaman & Nicobar Islands showing the proposed Eco-Sensitive Zone



Station	Latitude	Longitude
1	11°44' 35.956" N	92°45' 39.246" E
2	11°44' 17.606" N	92° 45' 5.961" E
3	11°44' 41.245" N	92° 44' 28.299" E
4	11°45' 11.798" N	92° 43' 41.075" E
5	11°46' 2.162" N	92° 43' 41.702" E
6	11°47' 3.478" N	92° 43' 45.756" E
7	11°48' 16.104" N	92° 44' 14.984" E
8	11°48' 50.843" N	92° 44' 31.370" E
9	11°49' 51.467" N	92° 44' 42.145" E
10	11°50' 43.595" N	92° 45' 1..764" E
11	11° 51' 46.430" N	92°45' 28.588" E
12	11°51' 49.985" N	92° 46' 2..582" E
13	11° 51' 57.679" N	92° 47' 9.552" E
14	11°51' 17.113" N	92° 47' 8.303" E
15	11°50' 43.315" N	92° 46' 46.451" E
16	11°49' 17.231" N	92° 46' 33.469" E
17	11°49' 11.782" N	92° 46' 32.913" E
18	11°48' 18.575" N	92° 46' 28.187" E
19	11°47' 8.080' N	92° 46' 11.176" E
20	11°46' 13.940" N	92° 46' 2.667" E
21	11°45' 17.187" N	92° 45' 56.861" E

Station	Latitude	Longitude
A	11°52'12.191"N	92°45'8.243"E
B	11°52'21.303"N	92°46'10.983"E
C	11°52'32.412"N	92°47'7.984"E
D	11°51'57.689"N	92°47'95.72"E
E	11°44'35.975"N	92°45'39.675"E
F	11°44'3.295"N	92°45'30.586"E
G	11°44'12.711"N	92°44'44.172"E
H	11°44'18.38"N	92°43'54.956"E
I	11°44'41.467"N	92°43'31.354"E
J	11°45'17.109"N	92°43'10.581"E
K	11°46'34.491"N	92°43'11.532"E
L	11°47'38.759"N	92°43'26.193"E
M	11°48'14.715"N	92°43'58.825"E
N	11°48'59.949"N	92°44'10.337"E
O	11°50'53.017"N	92°44'36.901"E

Annexure-II A

Geo-coordinates of boundary of Mount Harriet National Park

Stations	Latitude	Longitude
1	$11^0$44’35.956” N	$92^0$45’39.246” E
2	$11^0$44’37.695” N	$92^0$45’5.961” E
3	$11^0$44’41.245” N	$92^0$44’28.299” E
4	$11^0$45’11.794” N	92^0 43’43.075” E
5	$11^0$46’2.162” N	92^0 43’43.702” E
6	$11^0$47’3.478” N	92^0 43’45.756” E
7	$11^0$48’16.101” N	$92^0$44’14.984” E
8	$11^0$48’50.840” N	$92^0$44’31.370” E
9	$11^0$49’51.467” N	$92^0$44’42.145” E
10	$11^0$50’43.595” N	$92^0$45’11.764” E
11	$11^0$51’46.410” N	$92^0$45’28.588” E
12	$11^0$51’49.985” N	$92^0$46’21.582” E
13	$11^0$51’57.679” N	$92^0$47’9.552” E
14	$11^0$51’17.110” N	$92^0$47’8.303” E
15	$11^0$50’43.316” N	$92^0$46’46.451” E
16	$11^0$49’57.234” N	$92^0$46’33.469” E
17	$11^0$49’11.782” N	$92^0$46’32.913” E
18	$11^0$48’18.576” N	$92^0$46’20.187” E
19	$11^0$47’8.080” N	$92^0$46’13.176” E
20	$11^0$46’13.940” N	$92^0$46’2.667” E
21	$11^0$45’17.187” N	$92^0$45’56.861” E

Annexure-II B

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Mount Harriet National Park

Stations	Latitude	Longitude
A	$11^0$52’12.191” N	$92^0$45’8.243” E
B	$11^0$52’21.303” N	$92^0$46’10.985” E
C	$11^0$52’32.412” N	$92^0$47’7.984” E
D	$11^0$51’57.699” N	$92^0$47’9.572” E
E	$11^0$44’35.975” N	$92^0$45’39.675” E

F	$11^0$44'3.295" N	$92^0$45'30.586" E
G	$11^0$44'12.721" N	$92^0$44'44.172" E
H	$11^0$44'18.39" N	$92^0$43'54.956" E
I	$11^0$44'41.407" N	$92^0$43'31.354" E
J	$11^0$45'17.109" N	$92^0$43'10.515" E
K	$11^0$46'34.491" N	$92^0$43'11.532" E
L	$11^0$47'38.759" N	$92^0$43'23.193" E
M	$11^0$48'44.725" N	$92^0$43'58.825" E
N	$11^0$49'59.949" N	$92^0$44'10.337" E
O	$11^0$50'53.017" N	$92^0$44'36.901" E

Annexure-III

Boundary description of Mount Harriet National Park Eco-sensitive Zone

NORTH – Eco-sensitive Zone boundary of Mount Harriet National Park starts from a point **A** at a grid reference of North latitude $11^0$52'12.191" and East longitude $92^0$45'8.243" which is 1 km from the peak of Mount Warden at a bearing of $322^0$30' and proceeds Eastwards keeping a 1 km distance from the boundary of the National Park and passes through the point **B** at a grid reference of North latitude $11^0$52'21.303" and East longitude $92^0$46'10.985" and reaches a point **C** and the seashore at a grid reference of North latitude $11^0$52'32.412" and East longitude $92^0$47'7.984".

EAST – The eastern boundary starts from point **C** at a grid reference of North latitude $11^0$52'32.412" and East longitude $92^0$47'7.984" and proceeds along the east coast and reaches a point **D** at a grid reference of North latitude $11^0$51'57.699" and East longitude $92^0$47'9.572". Thereafter the boundary of Eco Sensitive Zone of Mount Harriet National Park will follow the boundary of the Mount Harriet National Park and meets at a point **E** at a grid reference of North latitude $11^0$44'35.975" and East longitude $92^0$45'39.675". Thereafter the boundary will follow the coastal boundary and proceeds further to a point **F** at a grid reference of North latitude $11^0$44'3.295" and East longitude $92^0$45'30.586".

SOUTH –The Southern boundary starts from a point **F** at grid reference of North latitude $11^0$44'3.295" and East longitude $92^0$45'30.586" and moves westwards keeping 1 km distance from the boundary of the National Park and passes through the point **G** at grid reference of North latitude $11^0$44'12.721" and East longitude $92^0$44'44.172", point **H** at a grid reference of North latitude $11^0$44'18.39" and East longitude $92^0$43'54.956" and reaches a point **I** at a grid reference of North latitude $11^0$44'41.407" and East longitude $92^0$43'31.354".

WEST – The Western boundary starts from a point **I** at a grid reference of North latitude $11^0$44'41.407" and East longitude $92^0$43'31.354" and moves towards north keeping a distance of 1 km from the boundary of the National Park through the points **J** at a grid reference of North latitude $11^0$45'17.109" and East longitude $92^0$43'10.515", point **K** at a grid reference of North latitude $11^0$46'34.491" and East longitude $92^0$43'11.532", point **L** at a grid reference of North latitude $11^0$47'38.759" and East longitude $92^0$43'23.193", point **M** at a grid reference of North latitude $11^0$48'44.725" and East longitude $92^0$43'58.825", point **N** at a grid reference of North latitude $11^0$49'59.949" and East longitude $92^0$44'10.337" and reaches a point **O** at a grid reference of North latitude $11^0$50'53.017" and East longitude $92^0$44'36.901". Thereafter the boundary ends at point **A** at a grid reference of North latitude $11^0$52'12.191" and East longitude $92^0$45'8.243"

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.07 22:44:31 +05'30'